

## Himachal Form Portal

S.N	Scheme	Eligibility /Criteria	Assistance	Fee	Documents Required	Whom to Submit	Form
1	प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना	सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसान।	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले विभिन्न आदान बनाने एवं संग्रह हेतु ड्रम के लिए 75% उपदान अधिकतम 750 रू0 प्रति ड्रम (अधिकतम तीन ड्रम/परिवार)</li> <li>गऊशाला को पक्का करने तथा गोमूत्र और गोबर एकत्र करने के लिए, गौशाला बदलाव हेतु 80% उपदान अधिकतम 8000 रू0 प्रति परिवार</li> <li>देसी गाय पर 50 प्रतिशत उपदान और अधिकतम 25000 रुपये तक की सहायता व उसके परिवहन के लिए 5000 रुपये की अतिरिक्त सहायता।</li> </ol>	आवेदन की कोई फीस नहीं है	सामान्य आवेदन	जिला स्तर पर परियोजना निदेशक (आत्मा) को/ खण्ड स्तर पर कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के खण्ड तकनीकी प्रबन्धक तथा सहायक तकनीकी प्रबन्धक के माध्यम से आवेदन	सामान्य आवेदन

2	Mukhya Mantri Kissan Evam Khetihar Mazdoor Jeevan Suraksha Yojna	This Scheme is to provide compensation to the farmers and agricultural labourers in the event of sustaining injury or death during the operation of farm machinery. Farm machinery for this purpose include Tractors registered for Agricultural purpose, Power Tillers, Weeders, Power plough, Reaper cum Binder, Power Thrasher, Chaffcutters, implements, tools, equipments installation & operation of tube well/bore well/pumping sets, low lifts. The scheme is limited to the domicile farmers and farm labourers and not to a worker/employee of any company/contractor.	1	Death	300000	Nil	<p><b>IN CASE OF DISABILITY</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In case of disability the claim application on the prescribed performa (must be filled up by the applicant/thumb impression marked by him/her.</li> <li>2. The claim must be verified by the Pradhan/Secretary of the Panchyat.</li> <li>3. Medical certificate issued by registered medical practitioner should be submitted.</li> <li>4. Photo of affected organ/left over limb be also attached.</li> </ol> <p><b>IN CASE OF DEATH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The claim application on the prescribed performa must be filled up by the legal heir of the deceased.</li> <li>2. Legal heir Certificate /Postmortum Report and Death Certificate issued by the registered medical practitioner.</li> </ol>	The applicant will submit all the concerned documents to the Subject Matter Specialist (Agriculture) of respective Block within 2 months from the date of accident who will forward the claim alongwith his report to Deputy Director Agriculture	Form
			2	Permanent disability due to breakage of backbone or otherwise.	100000				
			3	Amputation of two limbs/permanent serious injury.	40000				
			4	Amputation of one limb (amputation of four fingers shall be deemed as loss of one limb)/permanent serious injury.	30000				
			5	Amputation of full finger (up to 3 fingers).	20000				
			6	Partial Amputation of finger/thumb.	10000				

	<p>This scheme shall cover the following incidents.</p> <p>A)Death or disablement of any farmers or agriculture labourer due to an accident occurred while working on the Farm, Machinery, Implements, Tools, Equipments etc. as statud above at his home, farm or while carrying those machinery farm home to farm and vice versa in the State of Himachal Pradesh. This also include Death or disablement of any farmer or farm labourer due to an accident occurred while, installing/operating Tubewell, Borewell, pumping set, low lifts etc.</p> <p>B)Death or disablement of any farmer or labourer due to electric current</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		while installing, carrying and operating any power operated machinery. The age group of the farmer/labourer should not be less than 14 years.					
--	--	---	--	--	--	--	--

3	<p>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: प्रति बूंद अधिक फसल: अन्य गतिविधियाँ</p>	<p>राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू-मालिक हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।</p>	<p>क) सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ख) व्यक्तिगत सिंचाई योजनाओं जैसे डगवैल, पौण्ड, उथले बोर वैल एवं जल वहन पाईप इत्यादि के कार्यान्वयन के लिए राज्य-मानदण्डों के अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है तथा शेष राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है।</p>	<p>आवेदन की कोई फीस नहीं है</p>	<p>क) सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के लिए लाभार्थियों/किसानों के आवेदन, पंचायत संकल्प, राजस्व रिकार्ड की नकल, जमाबंदी और ततिमा तथा अनापति प्रमाण पत्र इत्यादि ख) व्यक्तिगत सिंचाई योजनाओं के लिए आवेदन प्रपत्र सहित राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि, जैसे कि जमाबंदी और ततिमा की प्रति, बैंक खाता की प्रति।</p>	<p>समीप के भू0 संरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उप मण्डलीय भू0 संरक्षण अधिकारी को भेजे जा सकते हैं जन जातीय जिलों से संबंधित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालयों में भेजे जा सकते हैं।</p>	<p>फॉर्म</p>
---	---	--	---	---------------------------------	---	---	--------------

4	प्रवाह सिंचाई योजना	राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू-मालिक हो तथा उनके क्षेत्र में ऐसी योजना बनाने के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध हों, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।	इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कूहलों के स्रोतों का नवीनीकरण तथा सामुदायिक क्षेत्रों में कूहलों को सुदृढ़ करने का कार्य किया जाता है। योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी सामुदायिक कार्यों का शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्तर पर बोरवैल और उथले कुओं के निर्माण पर 50 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है।	आवेदन की कोई फीस नहीं है	सामुदायिक लघु बहाव सिंचाई योजनाओं के लिए संबन्धित लाभार्थियों/किसानों का सामुहिक आवेदन पत्र, पंचायत संकल्प, राजस्व रिकॉर्ड की नकल, जमाबन्दी और ततिमा तथा अनापति प्रमाण पत्र इत्यादि	समीप के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उपमण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला में उप कृषि निदेशक के कार्यालय को अपने आवेदन भेज सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबन्धित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालय में भेजे जा सकते हैं।	फॉर्म
---	---------------------	--	---	--------------------------	---	--	-------

5	जल से कृषि को बल योजना	राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू-मालिक हो तथा उनके क्षेत्र में ऐसी योजना बनाने के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध हों, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।	इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत किसानों को सिंचाई जल उपलब्ध करवाने हेतु चैकडैम एवं तालाबों का निर्माण।	आवेदन की कोई फीस नहीं है	सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के लिए लाभार्थियों/किसानों के आवेदन पत्र, पंचायत संकल्प, राजस्व रिकॉर्ड की नकल, जमाबन्दी और ततिमा तथा अनापति प्रमाण पत्र इत्यादि	समीप के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उपमण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय को भेजे जा सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबन्धित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालय में भेजे जा सकते हैं।	फॉर्म
---	------------------------	--	--	--------------------------	---	---	-------

6	उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण एवं बोरवैल योजना	राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू-मालिक हो, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।	इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्तर की लघु/मध्यम उठाऊ सिंचाई योजनाओं एवं व्यक्तिगत बोरवैल की स्थापना, व्यक्तिगत जल भण्डारण टैंकों का निर्माण, डगवैल, जल वहन वितरण पाईप और पम्पिंग मशीनरी के लिए लाभार्थी को नियमानुसार अधिकतम 50 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है।	आवेदन की कोई फीस नहीं है	जोत-क्षेत्र जिसे सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी हो, का ततिमा एवं जमाबन्दी की प्रति तथा भू-मालिकाना हक हिस्सेदारी में होने पर अन्य हिस्सेदारों का अनापति प्रमाण पत्र की प्रति	समीप के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उपमण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला में उप कृषि निदेशक के कार्यालय को अपने आवेदन भेज सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबन्धित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालय में भेजे जा सकते हैं।	फॉर्म
---	---	--	--	--------------------------	--	--	-------



7	सौर सिंचाई योजना	राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू-मालिक हो, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. इस योजना के अन्तर्गत सौर पम्पों से सिंचाई हेतु लघु एवं सीमांत वर्ग के किसानों को व्यक्तिगत रूप से पम्पिंग मशीनरी लगाने हेतु 85 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है।</li> <li>2. मध्यम/बड़े वर्ग के किसानों को व्यक्तिगत रूप से पम्पिंग मशीनरी लगाने हेतु 80 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है।</li> <li>3. सामुदायिक स्तर पर (कम से कम 5 किसानों के समूह) पम्पिंग मशीनरी लगाने हेतु सभी वर्ग के किसानों के लिए 85 प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन करने का प्रावधान है।</li> </ol>	आवेदन की कोई फीस नहीं है	जोत-क्षेत्र जिसे सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी हो, का ततिमा एवं जमाबन्दी की प्रति तथा भू-मालिकाना हक हिस्सेदारी में होने पर अन्य हिस्सेदारों का अनापति प्रमाण पत्र की प्रति, बैंक खाते की प्रति।	समीप के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उपमण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला में उप कृषि निदेशक के कार्यालय को अपने आवेदन भेज सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबन्धित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालय में भेजे जा सकते हैं।	फॉर्म
---	------------------	--	---	--------------------------	---	--	-------

8	राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम/कृषि अभियान्त्रिकी उप मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	समस्त श्रेणियों के कृषक (लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति व महिला कृषक)	ट्रैक्टर (8-20 हार्स पॉवर) 50 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 2.25 लाख रुपये, ट्रैक्टर (20-40 हार्स पॉवर) 50 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 3.00 लाख रुपये, ट्रैक्टर (40-70 हार्स पॉवर) 50 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 5.00 लाख रुपये, पॉवर टिलर (8 हार्स पॉवर तक या इससे अधिक) 50 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 0.85 लाख रुपये, पॉवर वीडर 50 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 0.25 लाख की सहायता, कस्टम हायरिंग केन्द्र के तहत कृषि मशीनीकरण बैंक की स्थापना हेतु 40 प्रतिशत की सहायता।	आवेदन की कोई फीस नहीं है।	आधार कार्ड की प्रति, जमीन की जमाबन्दी/ततीमा की प्रति, बैंक अकाउंट का ब्यौरा खरीदी जाने वाली मशीन का प्रोफार्मा बिल इत्यादि।	नजदीक के विकास खण्ड पर नियुक्त विशेषज्ञ (कृषि) या कृषि विकास अधिकारी	सामान्य आवेदन
---	---	---	---	---------------------------	---	--	---------------

9	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना	सभी ऋणी व गैर ऋणी किसान	<p>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मक्की, धान, गेहूँ व जौ की फसलों का बीमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत आलू, मटर, टमाटर, अदरक, शिमला मिर्च, लहसुन, बन्द गोभी, फूल गोभी आदि सब्जियों को इनके अंतर्गत क्षमता वाले क्षेत्रों में कवर किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के लिए प्रीमियम की दर बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत खरीफ के लिए और रबी के लिए 1.5 प्रतिशत है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ व रबी मौसम में उत्पादित सब्जियों हेतु किसानों के लिए प्रीमियम की दर बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत है।</p>	आवेदन की कोई फीस नहीं है।	आधार कार्ड व फसल बुआई प्रमाण पत्र।	सम्बन्धित बैंक जहाँ किसान का खाता खुला है तथा सम्बन्धित बीमा कंपनी	फॉर्म
---	------------------------------	-------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	--	-------

10	सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कुशल सिंचाई योजना	राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू-मालिक हो इस योजना का लाभ लेने ले लिए पात्र हैं।	इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत सूक्ष्म/टपक सिंचाई इकाईयों की स्थापना के लिए नियमानुसार अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जाती है तथा जल स्रोत विकसित करने के लिए नियमानुसार अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जाती है।	आवेदन की कोई फीस नहीं है।	जोत-क्षेत्र जिसमें सूक्ष्म/टपक सिंचाई इकाई स्थापित की जानी प्रस्तावित की गई है का ततिमा एवं जमाबंदी की प्रति तथा भू-मालिकाना हक हिस्सेदारी में होने पर अन्य हिस्सेदारों का अनापति प्रमाण पत्र की प्रति, बैंक खाता की प्रति।	समीप के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उपमण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला में उप कृषि निदेशक के कार्यालय को अपने आवेदन भेज सकते हैं।	फॉर्म
----	---	---	--	---------------------------	---	---	-------

11	कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (आत्मा)	सभी वर्ग के किसान	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. किसानों को जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण हेतु क्रमशः 250-400, 1000 व 1250 रुपये प्रति-दिन की सहायता।</li> <li>2. कृषि प्रदर्शन हेतु 4000 रुपये प्रति प्रदर्शन प्रति 0.4 हैक्टेयर की सहायता।</li> <li>3. कृषि पाठशाला करने के लिए 29,414 रुपये प्रति पाठशाला की सहायता।</li> <li>4. किसानों को जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय भ्रमण हेतु क्रमशः 300, 500 व 1000 रुपये प्रति दिन प्रति किसान की सहायता।</li> <li>5. किसान समूहों जैसे की किसान रुचि समूहों, महिला समूहों, किसान संगठनों आदि को प्रोत्साहित करने हेतु सहायता: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) किसानों को क्षमता/दक्षता विकास आदि हेतु 5000 रुपये प्रति समूह प्रति वर्ष की सहायता।</li> <li>(2) आवर्ती निधि/कोष हेतु 10000 रुपये प्रति समूह की सहायता।</li> <li>(3) महिला खाद्य सुरक्षा समूह को आवर्ती निधि/कोष हेतु 10000 रुपये प्रति समूह की सहायता।</li> </ol> </li> <li>6. विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम संगठित समूहों को 20000 रुपये का प्रोत्साहन। किसानों को राज्य स्तरीय (50000 रुपये), जिला स्तरीय (25000 रुपये) व खण्ड स्तरीय (10000 रुपये) पुरस्कार व प्रोत्साहन राशि दी जाती है।</li> <li>7. कृषि सूचना का प्रचार: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) जिला स्तरीय प्रदर्शनी, किसान मेलों, फल व सब्जी प्रदर्शनी के आयोजन हेतु 4,00,000 रुपये प्रति जिला।</li> <li>(2) स्थानीय विज्ञापन व मुद्रित साहित्य आदि द्वारा सूचना के प्रसार हेतु प्रावधान।</li> <li>(3) सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सांझा करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक तकनीकी पैकेज के विकास हेतु 20000 रुपये प्रति पैकेज की सहायता।</li> </ol> </li> <li>8. कृषि तकनीक को सुधारना व अपनाना: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) किसानों - वैज्ञानिकों की 2 दिनों की जिला स्तरीय चर्चा के आयोजन हेतु 20000 रुपये प्रति चर्चा।</li> <li>(2) अनुसंधान-प्रसार-किसान कड़ी को मजबूत करने हेतु किसान गोष्ठियों के आयोजन हेतु 15000 रुपये प्रति कार्यक्रम का प्रावधान।</li> </ol> </li> </ol>	आवेदन की कोई फीस नहीं है	किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	जिला स्तर पर परियोजना निदेशक (आत्मा) को/ खण्ड स्तर पर कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के खण्ड तकनीकी प्रबन्धक तथा सहायक तकनीकी प्रबन्धक के माध्यम से सम्पर्क करें।	सामान्य आवेदन
----	--------------------------------------	-------------------	--	--------------------------	--	---	---------------

13	मुख्यमंत्री ग्रीनहाउस नवीकरण योजना	हिमाचल प्रदेश के स्थाई सीमांत एवं लघु किसान जिन्होंने कृषि विभाग के माध्यम से 40 से 1000 वर्ग मीटर आकार के पॉलीहाउसों का निर्माण किया है।	70 प्रतिशत अनुदान	आवेदन की कोई फीस नहीं है	कृषि विभाग द्वारा बनाये गये पॉलीहाउस का विवरण तथा 30 प्रतिशत किसान की हिस्सेदारी	निकटतम कृषि प्रसार अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी/विषयवा द विशेषज्ञ (खण्ड स्तर पर)।	फॉर्म
----	--	---	-------------------	-----------------------------------	---	---	-------

14	मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना	सभी किसान	भारत सरकार ने मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत जी.पी.एस. के आधार पर किसानों के खेतों से मिट्टी के नमूने लेकर उनकी जाँच की जा रही है और किसानों को फसलों में प्रयोग किये जाने वाले पोषक तत्वों के प्रयोग की सिफारिशें Soil Health Card पर जारी की जाती हैं।	आवेदन की कोई फीस नहीं है	किसान पहचान पत्र/ आधार कार्ड/खेत की राजस्व रिकॉर्ड की कॉपी।	निकटतम कृषि प्रसार अधिकार/कृषि विकास अधिकारी/विषयवा द विशेषज्ञ (खण्ड स्तर पर)।	अपने नजदीकी कृषि प्रसार अधिकारी से सम्पर्क करें।
----	------------------------------	-----------	---	--------------------------	---	--	--

15	मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना	राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू-मालिक हों, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।	इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को सौर ऊर्जा चालित बाड़ लगाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 80 प्रतिशत व समूह आधारित बाड़ बन्दी के लिए 85 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने कांटेदार तार व चेनलिंग बाड़ लगाने के लिए 50 प्रतिशत और कंपोजिट बाड़ लगाने हेतु 70 प्रतिशत का भी प्रावधान किया है।	आवेदन की कोई फीस नहीं है	आवेदन प्रपत्र सहित राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि, जैसे कि जमाबंदी और ततिमा की प्रति, बैंक खाता की प्रति।	संबन्धित विकास खण्ड के विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) जो कि इस योजना की संचालन एजेंसी है, के माध्यम से संबन्धित जिला के उप कृषि निदेशक का भेजे जा सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबन्धित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकॉमिण्डों व केलांग के कार्यालय में भेजे जा सकते हैं।	फॉर्म
----	--------------------------------	---	---	--------------------------	--	---	-------



16	उत्तम चारा उत्पादन योजना	जिन कृषकों के पास अपनी कृषि भूमि है वह इस योजना के तहत मिलने वाले अनुदान के पात्र हैं।	किसानों को उपदान दरों पर घास के गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बीपीएल किसानों को चारा काटने की मशीन पर 50 प्रतिशत उपदान की सुविधा दे रही है। इस योजना में प्रदेश सरकार द्वारा अजोला घास की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत सरकार किसानों को पिट बनाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान दे रही है।।	आवेदन की कोई फीस नहीं है	किसान कृषि अनुदान पर्चा विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) से सत्यापित करवाकर कृषि सामग्री पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।	निकटतम कृषि प्रसार अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी/विषयवाद विशेषज्ञ (खण्ड स्तर पर)।	सामान्य आवेदन
----	--------------------------	--	--	--------------------------	--	--	---------------

17	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	समस्त श्रेणियों के कृषक (लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व महिला कृषक।	गेहूँ, धान व दालों के अन्तर्गत सहायता :			आवेदन की कोई फीस नहीं है	आधार कार्ड की प्रति, जमीन की जमाबंदी/ततीमा की प्रति, बैंक अकाउंट का ब्यौरा खरीदी जाने वाली मशीन का प्रोफार्मा बिल इत्यादि	नजदीकी के विकास खण्ड पर नियुक्त विशेषज्ञ (कृषि) या कृषि विकास अधिकारी/संबन्धित जिले के उप कृषि निदेशक।	सामान्य आवेदन
			क्र.सं.	घटक/ उपघटक	उपदान सहायता				
			1.	समूह प्रदर्शन	9000 रु० प्रति हैक्टेयर				
			2.	प्रमाणित बीजों के वितरण					
			(अ)	गेहूँ व धान की 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रु० प्रति किंवटल				
			(ब)	दालों की 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 5000 रु० प्रति किंवटल				
			(स)	धान संकर बीज	50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रु० प्रति किंवटल				
			3.	हस्त चलित स्प्रेयर	50 प्रतिशत या अधिकतम 750 रु० प्रति मशीन				
			4.	उर्जा चलित नैपसैक स्प्रेयर	50 प्रतिशत या अधिकतम 3800 रु० प्रति मशीन				
5.	टैक्टर चलित रोटोवेटर	50 प्रतिशत या अधिकतम 42000 रु० प्रति मशीन							
6.	पॉवर वीडर	50 प्रतिशत या अधिकतम 25000 रु० प्रति मशीन							

7.	रीपर	50 प्रतिशत या अधिकतम 75000 रु0 प्रति मशीन
8.	धान/मल्टी काप श्रेशर	50 प्रतिशत या अधिकतम 30000 रु0 प्रति मशीन
9.	विनोइग फैन	50 प्रतिशत या अधिकतम 30000 रु0 प्रति मशीन
10.	8 एच. पी या उससे अधिक का पावर टीलर	50 प्रतिशत या अधिकतम 85000 रु0 प्रति मशीन
11.	टैक्टर चलित सीड डील	50 प्रतिशत या अधिकतम 20000 रु0 प्रति मशीन

मक्की के अन्तर्गत सहायता

क्र. सं.	घटक/ उप घटक	उपदान सहायता
1.	समूह प्रदर्शन	6000 रुपये प्रति हैक्टेयर
2.	प्रमाणित बीजों का वितरण 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रुपये प्रति क्विंटल
3.	संकर बीजों का वितरण	50 प्रतिशत या 10000 रुपये प्रति क्विंटल

पोषक अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो मिल्ट, परोसो मिल्ट, फोक्सटेल मिलट, लिटर मिलट)

क्र. सं.	घटक/ उप घटक	उपदान सहायता
1.	समूह प्रदर्शन	6000 रुपये प्रति हैक्टेयर

2.	प्रमाणित बीजों का वितरण 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रुपये प्रति क्विंटल
3.	पौध संरक्षण रसायन	50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपये प्रति हैक्टेयर
4.	खरपतवार नियंत्रण	50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपये प्रति हैक्टेयर
5.	हस्त चलित स्प्रेयर	50 प्रतिशत या 750 रुपये प्रति मशीन

18	कॉफी की खेती को बढ़ावा देना।	कॉफी की खेती को बढ़ावा देना।	हिमाचल प्रदेश में कॉफी की खेती की संभावनाओं को तलाशना एवं कॉफी की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभाग कॉफी के प्रदर्शन खण्डक स्थापित कर रहा है, इसके अन्तर्गत कॉफी के पौधे किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराये जाते हैं एवं पौधों को लगाने के खर्च पर 50 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जाती है।	आवेदन की कोई फीस नहीं है	किसान व बागवान जिन के पास उपयुक्त भूमि हो इस के लिए।	किसान विषयवाद विशेषज्ञ कार्यालय एवं तकनीकी अधिकारी (चाय), चाय भवन पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में सम्पर्क कर सकते हैं।	सामान्य आवेदन
----	------------------------------	------------------------------	--	--------------------------	--	---	---------------

**Licenses**

19	Grant of Insecticide License	For grant of insecticides manufacturing License one should apply on form V	2000 per Insecticide or maximum Twenty thousand through online/e-Challan	<p>1. Application in form III/IV for grant/renewal of insecticides manufacturing license alongwith prescribed fee.</p> <p>2. Self-attested copies of Registration certificate issued by CIB&amp;RC for addition of new products.</p> <p>3. Affidavit from MD/Director/Partner/Sole Proprietor regarding appointment of person responsible for the purpose of section 33 of the Insecticides Act, 1968 (in the prescribed format)</p> <p>4. Affidavit from MD/Director/Partner/Sole Proprietor to the effect that no employee of the firm has been declared as Proclaimed Offender by any court of law anywhere in India any under Act/Rule/Order, regarding appointment of full-time expert staff for monitoring/supervising Manufacturing process and regarding existence of all the necessary plant, machinery, safety devices, first-aid facilities, quality control</p>	Joint Director of Agriculature cum-License authority	Form
----	------------------------------	--	--	---	--	------

					<p>measures, all the requirements laid under Insecticides Rules, 1971 etc (in the prescribed format).</p> <p>5. Affidavit of the person responsible for the purpose of section 33 of the Insecticides Act, 1968, (in the prescribed format).</p> <p>6. Affidavit of the full-time expert staff (in the prescribed format).</p> <p>7. Self-attested copy of 'no objection/consent for water/Air/Hazardous Waste disposal from State Pollution Control Board.</p> <p>8. Inspection report/recommendation of the Inspection team.</p> <p>9. Consent of the Medical Board.</p> <p>10. Valid marketing agreement (for marketer endorsement cases).</p> <p>11. Affidavit from MD/Director/Partner/Sole Proprietor of the marketer company/firm regarding appointment of person responsible for the purpose of section 33 of the Insecticides Act, 1961 (in the prescribed format).</p> <p>12. Affidavit of the person of the marketer</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>company/firm responsible for the purpose of Section 33 of the Insecticides Act, 1968 (in the prescribed format).</p> <p>13. Self-attested copy of the Manufacturing/sale licence of the marketer company/firm.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



Application for the grant of licence to sell, Stock or Distribution of Insecticides	As per provision of Insecticides Act,1968 and the Insecticides Rule,1971	Fee according to Rule 10(2) Rs. 500/for every Insecticide for which the licence is applied subject to maximum Rupees Seven Thousand Five Hundred only (Rs. 7500) Separate Fee for each Place. Through Treasury Challan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicant PAN /Aadhar no and proof of permanent residence.</li> <li>• Affidavit on stamp paper attested by the Notary/1<sup>st</sup> class magistrate.</li> <li>• Affidavit for responsible person under Insecticide Act duly attested by Notary/1<sup>st</sup> class magistrate.</li> <li>• Affidavit for enhance fee.</li> <li>• Situation of the Dealers premises where the Insecticide will be stored/sold</li> <li>• Qualification proof.</li> <li>• Principal certificate of firm.</li> </ul>	ADO/SMS Block level offices	Form
---	--	--	--	--	-----------------------------	------

20	Grant of Fertilizer License/ Renewal	<p><b>Fertilizer License for retail License</b>  (B.Sc. Agriculture/ B.Sc with Chemistry/ Diploma in agriculture from recognized University Govt., Institute/ Certificate course of fifteen days from any State Agriculture University or Krishi Vigyan Kendras or National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE) OR National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIDPR) OR Fertilizer Association of India or any other approval Govt. Institute.</p>	500/- online e-challan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AI Form (For application)</li> <li>2. O Form (Souce of Supply)</li> <li>3. Map of Godown</li> <li>4. NOC from nearby Society/ Panchayat recommendation</li> <li>5. Sale returen for last 3 years to quality report (in case of renewal)</li> </ol>	SMS (Agr.) at Concerned Block	Form
		Fertilizer License for Wholesale/ Renewal	2250	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AI Form (For application)</li> <li>2. O Form</li> <li>3. Map of Godown/ Rent agreement verified by SMS</li> <li>4. Affidavit of responsible person</li> </ol>	Joint Director of Agriculture through SMS of Concerned block	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Partnership deed/ MOA Company</li> <li>6. Quality Control Reports</li> <li>7. Price tag of fertilizers to be sold</li> <li>8. Power of Attorney of authorized Signatory</li> <li>9. Sale return for last 3 years to quality report (in case of renewal)</li> </ul>		
		Fertilizer License for Manufacturing License/Renewal	1000/ grade		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. D Form (For application)</li> <li>2. Project Report</li> <li>3. Affidavit of responsible person/ Nodal Officer (Chemist)</li> <li>4. Partnership deed/ MOA Company</li> <li>5. Set up of Laboratory/ Verification Laboratory equipments</li> <li>6. SSI registration</li> <li>7. NOC of Pollution Board</li> <li>8. Sale return for last 3 years to quality report (in case of renewal)</li> </ul>	Director of Agriculture through Concerned block SMS	Form

21	Grant of Seed License	Every person who desires to obtain a seed license for selling (For new license)	Rs. 1000/-online or through e-challan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Application on Form A</li> <li>b) Original Challan after submission of application fee of Rs. 1000/- under head 0401-00-800-03-Miscellaneous Receipts</li> <li>c) NOC from Panchayat/Cooperative Society</li> <li>d) Site plan of place of business</li> <li>e) Rent agreement; if any</li> <li>f) Two passport size photographs</li> <li>g) Inspection Report of Seed Inspector</li> <li>h) Principal Certificate</li> </ul>	SMS (Agriculture) in Concerned Block	Form
		Every person who desires to obtain a seed license for selling (For renewal license)	Rs. 500/-online or through e-challan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Application on Form C</li> <li>b) Original Challan after submission of application fee of Rs. 500/- under head 0401-00-800-03-Miscellaneous Receipts.</li> <li>c) NOC and site plan is required only if the</li> </ul>	SMS (Agriculture) in Concerned Block	Form